



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1477]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/आषाढ़ 24, 1936

No. 1477]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014

का. आ. 1837(अ).—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (6), और धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (छ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अधिसूचना संख्या का आ. 467(अ) दिनांक 1 मार्च 2011 के तहत, उन बातों के सिवाय जिन्हें कर दिया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्र सरकार एतद्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के लिए चुने गए निम्नलिखित ग्यारह व्यक्तियों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित करती है नामतः :—

क्र. सं.	सदस्य का नाम तथा पता	खंड-3 के उप-खंड (3) के खंड (छ) के तहत चुने गए सदस्य
1.	डॉ बलकार सिंह, गांव-मुन्नारहरि, पो.ओ. हबरी, जिला-कैथल,— (हरियाणा)—136026	सदस्य
2.	डॉ रवीन्द्र चौधरी, 8/8, डालीबाग ऑफीसर्स कालोनी, जीपीओ, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
3.	डॉ प्रदीप लांबा, हाउस नं. 448, डिफेंस कालोनी, हिसार, (हरियाणा)—125001	सदस्य

